राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये — Rs 100

कोष कार्यालय 16 MAR 2018 सिरोही (राजस्थान)

रु. 100 — ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AL 142941

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस0डी0ओ0) सिरोही
बईजलास नाथूसिंह राठौड, आर0ए0एस0

राजस्व वाद सं. 61
वर्ष 2009

-फा ई न ल - डि क्री :-

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
सविया पुत्र ताराजी जाति रावल उम्र व्यस्क पेशा खेती निवासी गोईली तहसील सिरोही जिला सिरोही		1- अमृतलाल पुत्र वदोया 2- कान्तिलाल पुत्र वदोया 3- मणिलाल उर्फ मांगीलाल पुत्र वदोया 4- जगदीशकुमार पुत्र वदोया 5- सोमा पुत्री वदोया 6- वीणा पुत्री वदोया सभी उम्र व्यस्क जाति रावल पेशा खेती प्रतिवादी संख्या 1 से चार निवासी गोयली एवं प्रतिवादी संख्या 5 एवं 6 निवासीयान हाल पिपलकी, तहसील व जिला सिरोही 7- स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राज. काश्तकारी अधि. 1955

उक्त प्रकरण मे न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के राजस्व लोक अदालत केम्प गोईली मे दिनांक 26-5-2017 को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि 26-5-2017 व प्राथमिक डिक्री की पालना मे तहसीलदार, सिरोही ने अपने पत्र क्रमांक/राजस्व/17/3022 दिनांक 21-12-2017 के द्वारा वांछित बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को पेश किया। उक्त प्रकरण को इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 13-3-2018 को उक्त प्रकरण को सुनवाई के दौरान वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को दिखवाया गया तो वकील उभय पक्षकारान को उक्त बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को देखकर माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना मे मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर पक्षकारान के जमाबंदी मे दर्ज हक हिस्से एवं मौके रास्ते सडक के सुखाधिकार को ध्यान मे रखते हुये पक्षकारान के बीच वादग्रस्त कृषि भूमि का समान रूप से बंटवाडा होने से विधिवत सही होना बताया है। अतः पक्षकारान की सहमति के आधार पर उक्त बंटवाड प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को वादग्रस्त कृषि आराजी अच्छी मेसे अच्छी व बुरी मेसे बुरी पक्षकारान के बीच उनके हक हिस्से अनुसार मिटस एवं बाउण्ड के आधार पर बंटवाड प्रस्ताव विधिवत रूप से सही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

होने से न्यायालय द्वारा उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस को न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है।

उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव अनुसार मौजा गोईली पटवार हल्का गोईली तहसील सिरोही जिला सिरोही के वादग्रस्त कृषि आराजी मौजा गोईली के जमाबंदी संवत 2071 से 2074 के खाता नंबर 12 के खसरा नंबर 127 रकबा 1.7000 हेक्टेयर किस्म बारानी I लगान 5.10 पैसे का विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है :-

खाता नंबर	नाम खातेदार मय पिता का नाम, जाति	खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)	किस्म	लगान
12/1	अमृतलाल कांतिलाल मणिलाल जगदीशकुमार पि. वदाराम सविता वीणा पुत्रीयां वदाराम जाति रावल सा. देह खातेदार	अं. नं. 1 / 127	0.8500	बारानी I	2.55
	कुल किता 1		0.8500	-	2.55
12/2	सवाराम पुत्र ताराराम जाति रावल सा. देह खातेदार	अं. नं. 2 / 127	0.8500	बारानी I	2.55
	कुल किता 1		0.8500	-	2.55

अतः उपरोक्तानुसार कृषि भूमि का विभाजन पक्षकारान के मध्य किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस अनुमोदित किया जाता है। तहसीलदार सिरोही को उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राजात/अमल दरामद करने के लिये आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 6/4/2018 को यह फाईनल डिक्री मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से नोन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर रु 100/- एक तथा एक टाईप पेपर पर टंकित कराकर अवलोकन करने के बाद मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

06/4/18

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

उपखण्ड मजिस्ट्रेट कलेक्टर * सिरोही (राज.) *